न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 311/2017

आरसीएमएस नं. 2017/00282

सोना पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल
2. प्रताप सिह
3. नौरंग
4. पप्पूराम
5. जगराज
6. जयकरण

पि0 उदमीराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

7. दीपाराम पुत्र प्रताप सिह नाबालिग जरिये बली कुदरती माता सन्तरो पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. नरेश पुत्र पप्पुराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. लीलूराम पुत्र जगराम जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती माता नानकोरी पत्नी जगराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. सुमन देवी पत्नी जयकरण जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. महावीर पुत्र नौरंग नाबालिग जरिये बली कुदरती माता श्रीमति कमला पत्नी नौरंग जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

25/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री द्वारा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा दिनांक 30.05.2013
प्र0 सं0 सुरेश बनाम गोपाल आदि

उपस्थितिः—
श्री नरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांक 25/10/23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र मे वादीगण सं0 1 ता 3 , प्रतिवादी सं0 7, 8, 9 के दादा तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता उदमीराम की स्वयं पैदाकर्दा कृषि भूमि रोही मोजा घोटड़ा खालसा तहसील भादरा की खाता सं0 8/5 प्रश्गगत 22.4580 है0 भूमि खातेदारी कृषि भूमि होने एवं उदमीराम का 1/3 हिस्सा होने इसी प्रकार रोही मौजा घोटड़ा खालसा के खाता सं0 7/6 में खसरा नं. 30 की 0.4810 है. खसरा नं. 34 की 5.5260 है0 कुल खसरा सं0 2 की 6.0070 है0 बारानी खातेदारी उदमी के नाम दर्ज होने, रोही मौजा किकराली के खाता सं0 10/11 के ख0 नं0 118 की 4.4010 है0 ख. नं. 119 की 4.5910 है0 कुल खसरा 2 की 8.9920 है0 बारानी खातेदारी भूमि जिसमें उदमीराम का 1/3 हक व हिस्सा होने का कथन किया । उदमीराम ने अपने हिस्सा की भूमि की वसीयत 12.12.2016 को वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 7 व 9 के नाम करवाने एवं इसी वसीयत के अनुसार वाद भूमि दर्ज करने का कथन किया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने इकबाल दावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं इकबाल दावा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट्स के रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये, मगर उसकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। लिहाजा अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

25/10/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई गलत एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है। वसीयत कर्ता की मृत्यु हो चुकी है। अपीलाण्ट गोपाल की पुत्री है तथा जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं न ही कुर्सीनामा दर्ज किया गया है एवं मात्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अधूरा कुर्सीनामा दर्ज करवाया गया है इस आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय में बिना वारिसनामा के आधार पर एवं अधूरे कुर्सीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के अनुसार निर्णय पारित किया एवं माननीय न्यायालय ने उदमीराम की स्वयं पैदाकर्दा सम्पति माना है परन्तु इस प्रकार का काई दस्तावेज पेश ही नहीं किया गया था कि सम्पति उदमीराम की स्वयं की पैदा कर्दा सम्पति हों जबकि प्रश्नगत भूमि पैतृक कृषि भूमि थी। माननीय न्यायालय ने बिना जांच किये निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने मात्र वादीगण के कथनों एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालदावा के आधार पर निर्णय पारित किया है जो कि बिना किसी जांच एवं बिना किसी विश्लेषण के एकतरफा तौर पर सही मानकर डिक्री किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायलाय में पक्षकार नही थी इस कारण उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अपीलाण्ट एक का प्रश्नगत भूमि में हक हिस्सा है। प्रश्नगत निर्णय अपीलाण्ट को बैर सुने पारित किया गया है इस कारण अपीलाण्ट को नुकसान होता है इसलिए अपीलाण्ट तृतीय पक्षकार की हैसियत से यह अपील पेश की है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे एवं अपील अपलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावल का अवोकन किया।

5. अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रोही मौजा घोटड़ा की भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा वसीयत के अनुसार निर्णय पारित किया है एवं विचारण न्यायालय ने उदमीराम की स्वयं पैदाकर्ता सम्पति होना माना है जबकि अधीनस्थ न्यायलाय के सामने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

28/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

किया है जिससे यह साबित हो कि यह भमि उदमीराम की स्वयं की पैदाकर्दा सम्पति है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि होने के कारण उसका प्रश्नगत भूमि में हक हिस्सा निहित है। विचारण न्यायालय ने इकबालदावा के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलाण्टा जो कि रेस्पोडेण्ट सं01/ प्रतिवादी सं0 1 गोपाल की पुत्री है, उसे वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय में बिना वारिसनामा के आधार पर एवं अधूरे कुर्सीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को वाद पत्र में पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये हैं जिससे अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. चूंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थी इसलिए अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं हुआ। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्अ का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7. अधीनस्थ न्यायालय में वाद सुरेश आदि ने गोपाल वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। वादपत्र इकबालदावा के आधार पर निर्णित किया गया है। वाद पत्र में कोई तनकी कायम नहीं की गई की प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है अथवा नहीं। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपीलाण्ट गोपाल की पुत्री होने के कारण एक आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है। उसे पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपीलाण्ट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकी तथा उसका प्रश्नगत भूमि में यदि कोई हक हिस्सा बनता है तो वह उससे वंचित हो गई है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक

25/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

30.05.2013 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में समस्त पक्षकारों को तलब कर, साक्ष्य सुनवाई कर, तनकीयात कायम कर पुनः 2 माह में निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तक उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी को रहन बैय आदि द्वारा अन्तरित नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/10/23

(अशोक कुमार मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner